फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :- 13.11.2023

मु0अ0स0- 377/23 धारा- 147/409/420/332/307/506/419/120B/342 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ में नामजद अभियुक्त संजीव पारिया पुत्र जदुनाथ सिंह पारिया को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री प्रशान्त कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप सिंह** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्त संजीव पारिया पुत्र जदुनाथ सिंह पारिया को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 27.07.2023 को वादी अधिवक्ता श्री राजीव कुमार बाजपेयी पुत्र योगेशचन्द्र बाजपेयी निवासी नबाव नियामत खाँ पश्चिम कोतवाली फर्रुखाबाद की लिखित तहरीर दी गयी, जिसमें कचहरी परिसर में सुरक्षा को भंग कर गोला बारुद कचहरी परिसर में ले जाकर वादी अधिवक्ता राजीव वाजपेई के चैम्बर के पास गोला दागकर वादी की हत्या करने का प्रयास किया गया था तथा वर्ष 2003 से दिसम्बर 2022 तक बार एसोसिएशन के सचिव पद रहते हुए कोई लेखा-जोखा एल्डर्स कमेटी को नही दिया गया तथा अधिवक्तागण के सदस्यता शुल्क का करीब 7200000/- रुपया(बहत्तर लाख रुपया)बार एसोसिएसन का गबन किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तों

शिवप्रताप उर्फ चीनू व अनुपम दुबे व अन्य द्वारा डिबार हो जाने के बावजूद वकालतनामा माननीय न्यायालय में लगातार पैरवी करते रहे व साजिश के तहत अधिवक्ता बताकर न्यायिक कार्य से विरत रहने के प्रस्ताव न्यायिक अधिकारियों /प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रेषित कर हड़ताल की घोषणा कर न्यायिक कार्य बाधित किया गया था व कई दिनों तक न्यायिक कार्य को बाधित रखा गया, जिसके सम्बन्ध में कोतवाली फतेहगढ़ पर मु0अ0सं0-377/23 धारा-147/409/420/332/307/506/419/120B/342 भादवि पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री कमलेश कुमार द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त संजीव पारिया पुत्र जदुनाथ सिंह पारिया निवासी ओल्ड ग्रान्ट बगला नं0 10 कैण्ट कोतवाली फतेहगढ को मुखबिर की सूचना पर आज दिनाँक 13.11.2023 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. संजीव पारिया पुत्र जदुनाथ सिंह पारिया निवासी ओल्ड ग्रान्ट बगला नं0 10 कैण्ट फतेहगढ़ कोतवाली फतेहगढ उम्र करीब 58 वर्ष।

अभियुक्त संजीव पारिया का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 1033/08 धारा 147/353/427/153ए भादवि व ¾ लोक सम्पत्ति विनाश निवारण अधि0 व 7 सीएल ए एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद, जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0स0 1047/08 धारा 447/323/504/506/452/307 भा0द0सं0 कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0स0 603/16 धारा 467/468/471/420 भा0द0सं0 व 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0स0 872/17 धारा 292/465/469/504 भा0द0सं0 कोतवाली फर्रुखाबाद, जनपद फतेहगढ़।
5. मु0अ0स0 286/21 धारा 420/467/468/471/506 भा0द0सं0 कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़।
6. मु0अ0स0 137/23 धारा 294/354/376डी/364/323/308/304/120बी भा0द0सं0 व 3(2)(V) SC/ST ACT कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक सचिन कुमार सिंह कोतवाली फतेहगढ़।
2. अपराध निरीक्षक श्री कमलेश कुमार यादव
3. हे0का0 सौधान सिंह
4. का0 रिपान्शु मौर्य

(मीडिया सेल फतेहगढ़)

GPS Map C
Kuiyankhera, Uttar Pradesh, भारत
GC2J+R8Q, MDR110W, Kuiyankhera, Uttar Pradesh 20950
Lat 27.502135°
Long 79.430846°
13/11/23 02:16 PM GMT +05:30
Kampil, Uttar Pradesh, India
mpil, Uttar Pradesh 20950
7.607928°
281383°
GPS Map Ca
Nibkarori, Uttar Pradesh, India
Sankisa Road, Nibkarori, Phaguna Atanpur, Uttar Pradesh 20965
Lat 27.328262°
Long 79.393884°
13/11/23 04:55 PM GMT +05:30
GPS Map Camera
Farrukhabad, Uttar Pradesh, India
9HX5+QMP, MDR110W, Bhikampura, Farrukhabad, Kharbandi Bhikampur, Uttar Pradesh 209625, India
Lat 27.399519°
ng 79.558918°
/23 04:55 PM GMT +05:30
ur Kundra, Uttar Pradesh, Ind
nganj Achara Marg, Ajijpur Kundra
7.466555°
79.315811°
23 05:04 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Shamshabad, Uttar Pradesh, India
Shamsabad, Shamshabad, Uttar Pradesh 209503, India
Lat 27.533736°
Long 79.439098°
13/11/23 06:08 PM GMT +05:30
Google